न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—48/2021 (2021/148) वादपत्र

अनवान

1. चन्दा पत्नि मदनलाल रावणा राजपूत निवासी नान्दशा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीया

बनाम

1. गोरधन पुत्र मोतीसिंह राजपूत निवासी नान्दशा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. मदन पुत्र मोहन रावणा राजपूत निवासी नान्दशा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

1. फारूख मोहम्मद — **अधिवक्ता वादीया**

निर्णय

दिनांक 08.02.2022

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि इस न्यायालय के पुर्व आदेश दिनांक 23.11.2021 के द्वारा वादीया का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम नान्दशा पटवार हल्का नान्दशा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 के सयुंक्त खातेदारी कृषि एवं संयुक्त कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 1690 रकबा 0.86 है० भूमि में वादीया का 1/3 हिस्से का मौके पर कब्जे एवं हिस्से को ध्यान में रखते हुए बाई मीट्स एण्ड बोण्ड्स के आधार पर विभाजन हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की गई एवं तहसीलदार रायपुर से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था।

तहसीलदार रायपुर द्वारा दिनांक 24.01.2022 को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया और वादी अधिवक्ता को प्रस्ताव अवलोकन कराया जिस पर वादी अधिवक्ता विभाजन प्रस्ताव से सहमत है। उपरोक्त विवरण अनुसार प्राथमिक डिक्री की पालना में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम नान्दशा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे खाता संख्या 466 में प्रस्तावित आराजी संख्या 1690/1 रकबा 0.42 है० चन्दा पत्नि मदनलाल 2/3 रावणा राजपूत, मदन पुत्र मोहन 1/3 रावणा राजपूत सा. देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 1690 रकबा 0.42 है० भूमि गोरधनसिंह पिता मोतीसिंह राजपूत सा. देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 1690/3 रकबा 0.02 है० शामलाती बदस्तुर रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.03.10 11:36:58 IST
Reason: SelfAttested

08.02.2022

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर (भीलवाड़ा)

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–48/2021 (2021/148) वादपत्र

अनवान

1. चन्दा पत्नि मदनलाल रावणा राजपूत निवासी नान्दशा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीया

बनाम

1. गोरधन पुत्र मोतीसिंह राजपूत निवासी नान्दशा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. मदन पुत्र मोहन रावणा राजपूत निवासी नान्दशा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादी के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम नान्दशा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे खाता संख्या 466 में प्रस्तावित आराजी संख्या 1690/1 रकबा 0.42 है0 चन्दा पत्नि मदनलाल 2/3 रावणा राजपूत, मदन पुत्र मोहन 1/3 रावणा राजपूत सा. देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 1690 रकबा 0.42 है0 भूमि गोरधनसिंह पिता मोतीसिंह राजपूत सा.देह खातेदार एवं प्रस्तावित आराजी संख्या 1690/3 रकबा 0.02 है0 शामलाती बदस्तुर रखते हुए रेकार्ड कायम किया जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 08.02.2022 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

08.02.2022
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2022.03.10 11:36:58 IST
Reason: SelfAttested